

*8/11/21*

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

सुखपाल कौर बनाम सरकार

नम्बर 287 सन् 2021

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
08.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सुखपाल</u>                      रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/.....                      दिनांक 08.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग                      अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>76-903512</u>                      में प्रार्थी के नाम चक <u>28 M.L.A.</u> की जमाबंदी सम्वत्  <u>2073 ता 76</u> के खाता सं <u>139</u> में  <u>सुखपाल कौर</u> व/0 <u>गामडर सिंह साप</u>  <u>1 LLP तह सुखपाल</u>                      के स्थान पर  <u>सुखपाल कौर</u> व/0 <u>गामडर सिंह</u>  <u>साप 28 M.L.B तह रायसिंहनगर</u>                      की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।                      प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प                      कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार                      दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति                      जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब                      तहसीलदार <u>सुखपाल</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा                      के आधार पर वाके चक <u>28 M.L.A</u> तहसील                      रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2073 ता 76</u>                      के खाता सं <u>139</u> में  <u>सुखपाल कौर</u> व/0 <u>गामडर सिंह साप</u>  <u>1 LLP तह सुखपाल</u>                      के स्थान पर  <u>सुखपाल कौर</u> व/0 <u>गामडर सिंह</u>  <u>साप 28 M.L.B तह रायसिंहनगर</u>                      की दुरुस्ती करने                      के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी                      अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय                      का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।                      पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।                      आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर